कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा

पंत्रांक:एस0टी0–मा0प्र0 49/2014 दिनांक:अप्रैल 21 2014

सेवा में,

सहायक निबन्धक (विधि)
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन
ब्लॉक ,सी ,जी,पी,ओ,कॉम्पलेक्स आईएनए
नई दिल्ली –110023

कृपया आप अपने कैस स0 7968/24/52/2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके साथ श्री तारा सिंह पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम मीरपुर थाना सादाबाद जिला हाथरस के शिकायती प्रा0 पत्र की जॉच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

आरोप:– आवेदक ने अपने शिकायती प्रा0पत्र में आरोप अंकित किये हैं कि थाना जमुनापार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 31/14 धारा 147/148/149/307/302/120भादावि में विवेचक अभियुक्तो से मिले होने के कारण सही विवेचना न कर परिवार का उत्पीड़न कर रहे है के सम्बन्ध में है।

आख्या:–

उक्तप्रकरण की जॉच क्षेत्राधिकारी महावन मथुरा द्वारा करायी गयी जिनसे प्राप्तआख्या अवलोकनार्थ संलग्न है,जिसके परिशीलन से पाया हैं कि थाना जमुनापार पर दि0 06.02.14 को उपस्थित होकर सूचना अंकित करायी कि अभियुक्तो द्वारा षडयन्त्र के तहत वादी की पुत्री विजया देवी व धेवती कु0पूजा न्यायालय जाते समय गोली मार देना अस्पताल ले जाते समय पूजा की मृत्यु हो जाना श्रीमकती विजयादेवी गम्भीर रूप से घायल होने की सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 31/2014 धारा 147/148/149/307/302/120 भादावि बनाम गोविन्दा नन्द, बेरागस्वरूप साव नदेन्द्र श्रीवास्तव के विरूद्व पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना श्री पंकज राय थानाध्यक्ष जमुनापार द्वारा ग्रहण कर संपादित की गयी । विवेचना के मध्य नामजद अभियुक्त नरेन्द्र श्रीवास्तव को दि0 08.02.14 को गिरफतार कर जेल भेजा गया था।विवेचना पाया कि मु0अ0सं0 170/12धारा 392/ 365 34 328/ 364ए /411/120बी भादावि थाना वृन्दावन के अभियुक्त हीरासिंह पुत्र रतनसिंह निवासी बल्टीकरी बल्देव, श्यामबीर पुत्र चन्दनसिंह निवासी लोरियापटटी थाना मगोर्रा मथुरा जेल में निरूद्व है। अभियुक्त हीरासिंह ने इस अभियोग में राजीनामा करने श्री गोविन्दानन्द पर दवाव बनाने के लिये अपनी पतनी विजय देवी दत्तक पुत्री कु0 पूजा को दि0 06.02.14 को षणयन्त्र के तहत न्यायालय मथुरा जाते समय करीब 10 बजे घटना कारित करादी। विवेचना से अभियुक्त गोविन्दा पुत्र तारासिंह निवासी मीरपुर थाना सादाबांद हाथरस, अरविन्द उर्फ अमरपाल पुत्र बाबूलाल, धाधूपहलवान पुत्र हरदम सिंह, रविन्द्र उर्फ रब्बो पुत्र बाबूलाल निवासीगण सेलखेड़ा बल्देव, हीरा पुत्र रतन सिंह निवासी बल्टीकरी थाना बल्देव, श्यामबीर पुत्र चन्दनसिंह निवासी लोरिया पटटी थाना मगोर्रा मथुरा, बिजया पत्नी हीरासिंह निवासी बल्दीकरी प्रकाश में आये। नरेन्द्र श्रीवास्तव की इस अपराध में संलिप्तता न पाये जाने पर धारा 169 सीआपीसी की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त धाधू की गिरफतारी शेष है। अन्य प्रकाश में आये अभियुक्तगण गिरफतार व हाजिर होकर जेल में निरूद्व है। विवेचना प्रचलित है। विवेचक को अबिलम्ब निस्तारण के निर्देश दिये गये है।

आख्या अवलोकनार्थ सादर सेवा मे प्रेषित है।

संलग्न:यथोक्त।

21/4/14
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण
नोडल अधिकारी मानवाधिकार
मथुरा।

प्रतिलिपि: अपर पुलिस महानिदेशक, (मानवाधिकार) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक कार्यालय दूरसंचार, लखनऊ उ0प्र0 को सादर सूचनार्थ

SCANNED

N.H.R.C.
C.R. UNIT
15 MAY 2014
72320
Dy. No.......

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

मथुरा।

कृपया आप अपने पत्रांक:एसटीई-मा0प्र0-49/2014 दिनांक मार्च 8,2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें , जो श्री तारसिंह पुत्र हीरालाल निवासी मीरपुर थाना सादाबाद हाथरस के शिकायती प्रार्थना पत्र पर जांच/छानवीन, विवेचनात्मक कार्यवाही की समीक्षा कर अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

आरोप:-

थाना जमुनापार पर पंजीकृत मु0अ0स0 31/14 धारा 147/148/149/307/302/120भादवि. में विवेचक अभियुक्तों से मिले होने कारण सही विवेचना न कर परिवार का उत्पीडन कर रहे हैं ।

जॉच आख्या:-

प्रकरण की जॉच के मध्य आवेदक अपने वकील के साथ मेरे कार्यालय उपस्थित हुआ प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों के सम्बन्ध में पूँछताछ की गयी तो बताया गया कि प्रार्थना पत्र में अँकित ही मेरा बयान है अलग से कुछ नहीं कहना है ।

अभिलेखीय साक्ष्य:-

प्रकरण की जॉच के मध्य कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो/एसआर पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक/वादी श्री तारासिंह पुत्र हीरालाल निवासी मीरपुर थाना सादाबाद हाथरस ने थाना जमुनापार पर दिनांक 6-2-14 को उपस्थित होकर सूचना अंकित करायी कि अभियुक्तों द्वारा षडयंत्र के तहत वादी की पुत्री विजय देवी व धेवती कु0 पूजा न्यायालय जाते समय गोली मार देना अस्पताल ले जाते समय पूजा की मृत्यु हो गयी श्रीमती विजय देवी गम्भीर रुप से घायल होने की सूचना के आधार पर मु0अ0स0 31/14 धारा 147/148/149/307/302/120भादवि ,बनाम गोविन्दा नन्द,बैरागस्वरूप व नरेन्द्र श्रीवास्तव के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना श्री पंकज राय थानाध्यक्ष जमुनापार द्वारा ग्रहण कर संपादित की गयी।

विवेचनात्मक कार्यवाही के मध्य अभियुक्त नरेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र शिव चरन निवासी म.न. 4/13,थाना कोतवाली को दिनांक 8-1-14 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।अभियुक्त द्वारा जुर्म से इंकार करते हुए बतांया कि मै बाबा गोविन्दानन्द का मुनीम हू। पिछली तारीख पर विजया का पति हीरासिंह जो जिला जेल में है। तलवी पर न्यायालय में आया था उस समय दो व्यक्ति मोटर साइकिल पर आये थे। जिन्होंने हीरासिंह से बात की ,हीरा सिंह ने विजय देवी ,कु0 पूजा की तरफ इशारा करके दोनो की पहचान बताई । दिनांक 6.2.14 को कु0 पूजा व श्रीमती विजय के न्यायालय आते समय प्रीति विहार कालौनी लक्ष्मीनगर थाना जमुनापार पर समय 10 बजे उन्हीं दो लोगों ने जो पिछती तारीख पर हीरासिंह से मिले थे गोली चलायी ,जिसमें पूजा की होस्पीटल ले जाते समय मृत्यु हो गयी,श्री मती विजय घायल हो गयी थी घटना की सन्दिग्धता प्रतीत होने पर थाना वृन्दावन पर पंजीकृत मु0अ0स0 170/12 धारा 392,365,344,328,364ए,411,120बी के अभियुक्त कलुआ पुत्र भुजबल जो जमानत पर है ने अपने बयान में अंकित कराया कि बाबा गोविन्दानन्द ,ने हीरासिंह ,श्यामवीर ,गोविन्दा ,अरविन्द उर्फ अमरपाल ,को अभियुक्त बनया था।बाबा गोविन्दानन्द पर दबाब बनाने एवं मुकदमा वापस लेने हेतु हीरा सिंह द्वारा षणयंन्त्र के तहत विजय व पूजा पर गोली चलवाकर अपराध कारित किया गया है । विवेचनात्मक कार्यवाही के मध्य अभियुक्त गोविन्दा पुत्र तारा सिंह ,अरविन्द्र उर्फ अमर पाल पुत्र बाबूलाल को मु0अ0स0 31/14 उपरोक्त में प्रकाश में आने पर दिनांक 15.2.14 को गिरफतार किया गया। जिन्होंने जुर्म इकबाल करते हुए अपने बयान में घटना में धाधू पहलवान पुत्र हरदम सिंह ,रविन्द्र उर्फ रब्बो को सामिल होना एवं घटना कारित करने के लिए 3लाख रूपये लेने की बात स्वीकारी। पूर्व में गिरफतार अभियुक्त नरेन्द्र श्रीवास्तव की घटना में संलिप्तता न पाये जाने पर दिनाक 18.2.14 को मा0 न्यायालय में 169सीआरपीसी की रिपोर्ट प्रेषित की गयी । एवं प्रकाश में आये अभियुक्त रवेन्द्र उर्फ रब्बो द्वारा दिनांक 21.2.14 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया गया है। अभियुक्त श्यामवीर व हीरा पूर्व से जेल में निरूद्ध है । जिनका बारन्ट मा0 न्यायालय से प्राप्त कर जिला जेल मथुरा में दाखिल किया जा चुका है। अभियुक्त धाधू पहलवान की काफी प्रयास के बाद भी गिरफतारी नहीं हो सकी है। मजरूब विजया भी अपराध कारित कराने में प्रकाश में आने पर दिनांक 24.2.14 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

निष्कर्षः-

अब तक की जाँच व उपलब्ध अभिलेखो/एसआर पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक/वादी श्री तारासिंह पुत्र हीरालाल निवासी मीरपुर थाना सादाबाद हाथरस ने थाना जमुनापार पर दिनांक 6-2-14 को उपस्थित होकर सूचना अंकित करायी कि अभियुक्तों द्वारा षडयंत्र के तहत वादी की पुत्री विजया देवी व धेवती कु0 पूजा न्यायालय जाते समय गोली मार देना अस्पताल ले जाते समय पूजा की मृत्यु हो जाना श्रीमती विजयादेवी गम्भीर रूप से घायल होने की सूचना के आधार पर मु0अ0स0 31/14 धारा 147/148/149/307/302/120भादवि ,बनाम गोविन्दा नन्द,वैरागस्वरूप व नरेन्द्र श्रीवास्तव के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना श्री पंकज राय थानाध्यक्ष जमुनापार द्वारा ग्रहण कर संपादित की गयी।विवेचना के मध्य नाम जद अभियुक्त नरेन्द्र श्रीवास्तव को दिनांक 8.2.14 को गिरफतार कर जेल भेजा गया था। विवेचना से पाया गया कि मु0अ0स0170/12 धारा 392,365,344,328,364ए,411,120बी थाना बृन्दावन के अभियुक्त हीरासिह पुत्र रतन सिंह निवासी बल्टीकरी बल्देव ,श्यामबीर पुत्र चन्दन सिंह निवासी लोरियापटटी थाना मुगर्रा मथुरा जेल में निरूद्ध हैं । अभियुक्त हीरा सिंह ने इस अभियोग मे राजीनामा करने श्री गोविन्दानन्द पर दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी विजय देवी व दत्तक पुत्री कु0 पूजा को दिनांक 6.2.14 को षणयन्त्र के तहत न्यायालय मथुरा जाते समय करीब 10बजे घटना कारित करादी। । विवेचना से अभियुक्त गोविन्दा पुत्र तारासिंह निवासी मीरपुर थाना सादाबाद हाथरस,अरविन्द्र उर्फ अमरपाल पुत्र बाबूलाल ,धाधूपहलवान पुत्र हरदम सिंह,रविन्द्र उर्फ रब्बो पुत्र बाबूलाल निवासीगण सेलखेड़ा बल्देव ,हीरा पुत्र रतन सिंह निवासी बल्टीकरी थाना बल्देव ,श्यामबीर पुत्र चन्दनसिंह निवासी लोरिया पटटी मुगर्रा मथुरा ,विजया पत्नी हीरासिंह निवासी बल्टीकरी प्रकाश में आये। नरेन्द्र श्रीवास्तव की इस अपराध में संलिप्तता न पाये जाने पर धारा 169सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त धाधू की गिरफतारी शेष है। अन्य प्रकाश में आये अभियुक्त गण गिरफतार व हाजिर होकर जेल में निरूद्ध है। विवेचना प्रचलित है। विवेचक को अविलम्ब विवेचना निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं।

आख्या अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

29/3/14

(राजेन्द्र प्रसाद यादव)
क्षेत्राधिकारी महावन
मथुरा।

पत्रांकः सीओएम-मा0प्र0-12/14
दिनांकः मार्च 29, 2014